

झारखण्ड सरकार
योजना-सह-वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

संचिका संख्या : वित्त 21/ए.जी. (अं.) नि.प्र.-21/2014...../

प्रेषक,

सतेन्द्र सिंह
सचिव (व्यय)

सेवा में,

कोषागार पदाधिकारी
सिमडेगा-835223

राँची, दिनांक:-.....

विषय- निरीक्षण प्रतिवेदन सं.- 06/2018-19 की के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग- आपके कार्यालय के पत्र सं.-214 दिनांक- 26.4.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र का कृपया संदर्भ लिया जाय। आपके द्वारा प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित नि.प्र. सं.-06/2018-19 के अनुपालन प्रतिवेदन में, कंडिका के अनुपालन के समर्थन में संबंधित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न नहीं होने की सूचना वित्त प्रभाग को प्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित पत्रानुसार लंबित सभी कंडिकाओं का तथ्यपूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन (संबंधित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) कार्यालय, झारखण्ड, राँची को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाय तथा इसकी सूचना योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को भी दी जाय।

विश्वासभाजन
ह0/-

(सतेन्द्र सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:- वित्त 21/ए.जी. (अं.) नि.प्र.-21/2014. 1765/A0 / दिनांक:- 21/7/19.....
प्रतिलिपि:-

- (i) प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ।
- (ii) उपायुक्त, सिमडेगा, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- (iii) श्री सरोज सहायक प्रोग्रामर, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।



(सतेन्द्र सिंह)
सचिव (व्यय)

दिनांक:- 24/06/2019